



न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

R-1996-II/2011

प्रकरण क्रमांक-

/2011 निगरानी (जिला-श्योपुर)

- 1- शाहिद पुत्र श्री नसरुद्दीन जाति- मुसलमान
- 2- वाजिद पुत्र श्री नसरुद्दीन जाति- मुसलमान
- 3- ईदू उर्फ काडू पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति - मुसलमान, निवासीगण- बालापुра, तहसील व जिला श्योपुर प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन प्रतिप्रार्थी/प्रत्यर्थी

श्री. नसरुद्दीन कुरैशी
द्वारा 29-11-11 को
प्रस्तुत
कलकत्ता ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1- यहकि, प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष एक निगरानी क्रमांक 106/2010-11 प्रस्तुत की गयी थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2011 को निरस्त कर दिया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं-

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के समक्ष दिनांक 05.05.2008 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया था कि प्रार्थीगण को तत्कालीन तहसीलदार श्योपुर प्रकरण क्रमांक 22/93-94/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 23.01.95 से कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1752/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, सर्वे क्र० 472 रकबा 1

श्री. नसरुद्दीन कुरैशी
द्वारा 29.11.2011 को
प्रस्तुत
कलकत्ता ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1996-दो / 11

जिला -शयोपुर

दिनांक तथा स्थान	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-05-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>m</p>	<p> सदस्य</p>